झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

सी0एम0पी0 संख्या–205 / 2019

दिल मोहन सिंह .....याचिकाकर्त्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य
2. सचिव, योजना–सह–वित्त विभाग, (वित्त विभाग), झारखण्ड सरकार, रांची।
3. उपायुक्त, देवघर।
4. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर।
5. महालेखाकार (ए0 एवं ई0), झारखण्ड, रांची।
6. मुख्य प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, देवघर शाखा, देवघर।
7. सहायक महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, देवघर शाखा, देवघर।

..... विपक्षीगण

कोरमः **माननीय न्यायमूर्ति श्री अपरेश कुमार सिंह**

याचिकाकर्त्ता के लिए : श्री निरंजन कुमार, अधिवक्ता

राज्य के लिए : जी0पी0–II के ए0सी0

03 / 13.09.2019 याचिकाकर्त्ता और राज्य के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुना।

याचिकाकर्त्ता डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0 3261 / 2017 का पुनःस्थापन चाहता है जिसे निर्धारित समय के भीतर शेष त्रुटियों को दूर करने में विफलता पर दिनांक 26.09.2018 के अनुल्लंघनीय आदेश का पालन न करने के लिए खारिज कर दिया गया था।

याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि आदेश का अनुपालन नहीं किया जा सका क्योंकि याचिकाकर्त्ता उस तारीख को अप्रतिनिधित्व रहा। हालांकि, याचिकाकर्त्ता रिट याचिका में

सेवानिवृत के बाद के लाभों की मांग कर रहा है और यदि रिट याचिका को पुनःस्थापित नहीं किया जाता है, तो उसे अपूरणीय रूप से क्षति होगा, जबकि उसकी गलती नहीं है।

राज्य के विद्वान अधिवक्ता प्रार्थना का विरोध नहीं करते हैं।

किए गए सबमिशन के मद्देनजर, डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0 3261/2017 को इसकी मूल फाइल में पुनःस्थापित किया जाता है। याचिकाकर्त्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा रिट याचिका में बचे हुए त्रुटियों को दो सप्ताह की अवधि के भीतर हटा दिया जाना चाहिए। कार्यालय जाँच करे और उसके बाद उपयुक्त शीर्षक के तहत सूचीबद्ध करे।

तद्नुसार, यह याचिका निपटाई जाती है।

(अपरेश कुमार सिंह, न्याया0)